



REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
GANGA SAGAR, BHARATpur
COURT FEE
Authorization No. 2636
“प्रलेप 26”

(नियम 4 के देखिए)

5146
914121



13. गव्योपुरा अंसदीय निर्वाचन क्षेत्र

विर्वाचिन क्षेत्र से (विर्वाचिन क्षेत्र का नाम)।¹³ **सखीपुरा** (सदन का नाम) के लिए विर्वाचिन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं सजन कुमार अर्ट **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्वरूप रामनाथ अर्ट
 आयु 42 वर्ष, जो बंगला काउंटी नं 16
 पोर्ट सहरसा जिला सहरसा (बिहार) पिन 852201

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हैं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हैं, सत्यगिता से प्रतिज्ञा करता हुँ/करती है, शपथ पर गिर्वलिखित कथन करता हुँ/करती है:-

- 1) मेरा जन्म दिन 15 सप्टेंबर 2014 है। यह भारत पार्टी (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खाली किया गया अभ्यर्थी। ** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।
 ("जो लागू न हो उसे काट दें")

2) मेरा जामा 75 सहस्र 20000 रुपये (विराचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 157 के क्रम सं. 364 पर प्रविष्ट है।

3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 08285612928 है, मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)..... SajanKumarJha2014@gmail.com है।

4) स्थाई लेखा संख्यांक (पिन) के बारे और आय-कर विवरणी फाईल करने की प्राप्तिः

24-11-2005

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	स्वर्य	AGPPJ3161L	रु १२१-	रु १२१-
2.	पति या पत्नी	रु १२१-	रु १२१-	रु १२१-
3.	आश्रित-1	रु १२१-	रु १२१-	रु १२१-
4.	आश्रित-2	रु १२१-	रु १२१-	रु १२१-
5.	आश्रित-3	रु १२१-	रु १२१-	रु १२१-

5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सकाम अधिकारिता वाले व्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

* यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह जिम्मलिखित जानकारी

P.S.Saray
Regd. प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

2/7/2024
निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विलङ्घ लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए व्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रवेश सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	रु १२१-
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	रु १२१-
(ग)	व्यायालय का नाम, मामला संख्या और संझान लेने के आदेश की तारीख	रु १२१-
(घ)	व्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरण की गई	रु १२१-

(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(घ)	व्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सकाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

II. गिर्वलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विचारना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	नहीं
(घ)	व्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सकाम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

NOTARIAL

P.S. No. 44

Held on 10/02/2012

21/02/2012

मदद(1) मेरिंग्ट मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वांक आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	नहीं

6) मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) मेरिंग्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आगे वाले किसी अपराध(अपराधों)

से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश(आदेशों) की तारीख(तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्राप्तियति	नहीं

7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ,

N^o. 745
अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

ठिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण

P.S. Sanay
टिया जाना है।
2/1/02
100%

ठिप्पण 2- जगा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

ठिप्पण 3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

ठिप्पण 4- यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

ठिप्पण 5- रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधित-1	आधित-2	आधित-3
i	हाथ में नकदी	3,50,000	50000	0	0	0
ii	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक में जमा रकम	10,000 बैंक अॉफ बड़ौदा शास्वास्थल खाता सं० 0118		नहीं	नहीं	नहीं
iii	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचर्टों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
iv	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
v	किसी व्यक्ति या विकाय जिसमें पर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैद्यकिक ऋण/अग्रिम और अग्रणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम		नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
vi	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	2,15,000/- 1988-5000		नहीं	नहीं	नहीं
vii	जेवरात, दुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार ओर मूल्य अनुकूल-4000	नहीं अंडी का अंडी का उत्ता आजी नीली उपरूप कुक्का-4000	क्षेत्रा 10 अर्घ्याना) 3,00,000 पांची 20 अर्घ्यी 6000	नहीं	नहीं	नहीं

प्रांतीकरण 2000
नहीं 1000



	के ब्यौरे)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
viii	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ix	समग्र कुल मूल्य	3,72,000	3,56,000	नहीं	नहीं	नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1- संचुक्त स्थानित्य की सीमा को उपदर्शित करते हुए संचुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्थान	पति या पत्नी	आभित-1	आभित-2	आभित-3
i	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	मांजालाडा (पर्याप्त)-358,120 230,102,511 1988-4856, 1757,2024 226,492,499	नहीं	×	×	×
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	5 एकड़.	५	×	×	×
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	५	५	५	५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	५	५	५	५
	क्षेत्र के समय भूमि की लालात(क्रय की दशा में)	नहीं	५	५	५	५
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	नहीं	५	५	५	५
	अबुमालित चालू बाजार मूल्य	15,00,000	५	५	५	५
ii	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	५	५	५	५	५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	५	५	५	५	५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	५	५	५	५	५



	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास संरचना आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अबुमालित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
iii	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास संरचना आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनियोग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अबुमालित चालू बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
iv	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षक संख्यांक(संख्याएं)	एक एकड़े में पैदूक संबुक्त परिवार में 10 कम से को पुक्को मैक्स 1000 - 500 पैदूक 3666	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	1000 वर्ग फुट	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	2000 वर्ग फुट	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	नहीं	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास संबिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोइ विविधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10,00,000	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
v	अन्य (जिसे कि संपत्ति में हित)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
vi	पूर्णोक्त i से v का कुल चालू बाजार मूल्य	25,00,000	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यापिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बौद्धिक

P.S. का गृहक विवरण है)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधित-1	आधित-2	आधित-3
i	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	बैंक ऑफ इंडिया आणे झटका 25,000 ब्रेंडेजगाडी नहाना	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000			
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
	कोई अन्य दायित्व दायित्वों का कुल योग	₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000
ii	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बदलने वाले विभागों को शोध्य	₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000	₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000 ₹ 25,000

जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
आय-कर शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
घनकर शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
i. सेवाकर शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
P.S. Govt. of India ii. नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
iii. विक्रय कर शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
iv. कोई अन्य शोध्य	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
v. सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा
vi. क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा	मुमा

9) वृति या उपजीविका के बारे में

(क) स्वयं पत्रकारिता

(ख) पति या पत्नी मुहम्मद

10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है:-

वी० एस० २५० भा० २००८ कॉलेज सहरसा, गिविल रिफिल्यूलेशन्स - 1984

आ० एस० २५० - आ० २००८ कॉलेज सहरसा, गिविल रिफिल्यूलेशन्स - 1982

मौलिक, कृष्ण उच्च विद्यालय, रिहोल, विहार विधानसभा परिषद्वा समिति पट्टा - 1980.

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिप्ली पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-अ

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमार सजन कुमार अग्र	
2	डाक का पता	१० प्रोट लेलन अग्र गंगजला वार्ड नं० १६ प्रोट जिला झज्जरा (झज्जर), रिह- ४५२२०१	
3	जिवाचिन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	१३ मध्यपुरा विहार	
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को छाड़ा किया है(अब्याधा स्वतंत्र लिखें)	जन्म सहा आनन्द पाटी	
5	i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास और दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आसूप विरचित किए गए हैं ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	मुक्ति	
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धांदोष छहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा ८ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	मुक्ति	
7 का स्थायी लेखा सं० AGPPJ3101	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी प्राइल की गयी है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	AGPPJ3161	मुक्ति



		रुपये	रुपये	रुपये	
(ख) पति या पत्नी		रुपये	रुपये	रुपये	
(क) आधिकारिक		रुपये	रुपये	रुपये	
8	आस्तियों और दायित्वों के बारे में (लिपये में)				
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आधिकारिक-1	
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	M. Cycle 5000 Cash - 35000 Bank - 10000 रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
ख	स्वावर आस्तियां	5 एकड़ रुपये भुगतान 1 एकड़ रुपये जगत धर 10 कर्मन लकड़कार धनकार रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
i	स्वअर्जित स्वावर संपत्ति की क्रम कीमत	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
ii	क्रम के पश्चात् स्वावर संपत्ति की विकास/ संबिंदित लागत (यदि लागू हो)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
iii	लिखित अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	25,00,000	रुपये	रुपये	रुपये
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	25,00,000	रुपये	रुपये	रुपये
9	दायित्व				
i	सरकारी शोध्य (कुल)	रुपये	रुपये	रुपये	
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	बैंक अंकुड़िकरण अंकुड़िकरण 25,000	रुपये	रुपये	रुपये



10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं					
i	सरकारी शोध्य (कुल)	पूरा	पूरा	पूरा	पूरा	पूरा
ii	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से छ्रण (कुल)	पूरा	पूरा	पूरा	पूरा	पूरा
11	उच्चतम शैक्षिक अहंता: 1. मैट्रिक → दुर्गा उच्च विद्यालय, सिहोल. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना 1980 2. अष्टू एस.एस.ई. → आदू एस.एस. कॉलेज, साहरसा, भिविला विद्यालय कूटनियालय, कटमंडा 1982 3. नी.एस.एस.ई. → आदू एस.एस. कॉलेज, साहरसा, भिविला विद्यालय कूटनियालय, कटमंडा — 1984					

(प्रमाणपत्र/डिप्लोम/डिप्ली के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का घोरे हैं।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्परक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आशितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 9.4.2014 को सत्यापित किया गया।

2120 पूरा 2120 पूरा
Smt. 2120 Who is identified by Sri... 2120
Advocate Solemnly affirmed and
Sworn before me
Signature

प्रभानग पूरा
अभिसाक्षी

Identified the deponent who
has signed in my presence,
Signature

टिप्पण: 1. शपथपत्र जामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी नद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" अलिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टैकिट या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. मानवीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के नामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रुमार देंगे। मानवीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी नद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'झात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उबके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी रुमार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ है/हैं..... 08285612928

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... SajjanKumarJha2014@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है.....